झारखंड का सर्वाधिक प्रसारित दैनिक

प्रभात खबर

अखबार नहीं आंदोलन

रांची, पटना, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया से प्रकाशित

रांची

बुधवार, 10 जून, 2015

आषाढ़ कृष्ण 8 संवत 2072

पृष्ठ 24, मूल्य ₹ 4+1

हेल्दी लाइफ ऐच्छिक

नगर संस्करण

पर्यटन नीति को कैबिनेट की मंजूरी

रांची. झारखंड कैबिनेट ने राज्य की पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी. इसमें पर्यटन स्थलों को धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विकसित करने का प्रावधान है. धार्मिक स्थलों, इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, माइनिंग टूरिज्म को भी विकसित करने का प्रावधान किया गया है. पर्यटन के क्षेत्र में पूंजी निवेश करनेवालों को विशेष प्रकार की छूट दी जायेगी. पूंजी निवेश और कैप्टिव पॉवर जेनरेशन पर कैश सब्सिडी या विभिन्न प्रकार के करों में छूट दी जायेगी. पर्यटन स्थल के आसपास होटल आदि को विकसित करनेवालों को लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, होल्डिंग टैक्स आदि में छूट मिलेगी. शेष 19 पर

- पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करनेवालों को विशेष प्रकार की छूट

पर्यटन नीति को...

नीति के तहत राज्य के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार फैसिलिटेटर (सहायक) के रूप में काम करेगी. बिजली, सड़क आदि जैसी आधारभूत संरचना को विकसित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी.

लैंड बैंक का प्रावधान : नीति में पर्यटन स्थलों पर लैंड बैंक बनाने का प्रावधान भी किया गया है. पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान बनाया जायेगा. स्थलों को आस-पास विभिन्न विभागों के डाक बंगलों, रेस्ट हाउस आदि के लिए कॉमन पोर्टल बना कर पर्यटकों के लिए आवंटित करने का प्रावधान किया गया है. पर्यटकों की सुरक्षा के लिए गार्ड के अलावा स्थानीय लोगों की मदद भी ली जायेगी.

जेटीडीसी को सुदृढ़ करने का प्रावधान : नीति में झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जेटीडीसी) को सुदृढ़ करने का प्रावधान है. पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से टूरिज्म बोर्ड के गठन का भी उल्लेख किया गया है. सरकार टूरिज्म फैसिलिटेशन एक्ट बनायेगी. इसमें पर्यटन की जुड़ी संस्थाओं को लाइसेंस देने और उन्हें नियंत्रित करने का प्रावधान किया जायेगा. पारसनाथ और रजरप्पा में अथॉरिटी बनायी जायेगी.

मलूटी होगी विकसित : सरकार ने मलूटी मंदिर समूह को विकसित करने के लिए आइटीआरएचडी (दिल्ली की एनजीओ) के साथ मनोनयन के आधार पर एमओयू करने की सहमति दी. यहां कुल 108 टेराकोटा मंदिरों में से 62 के ही अवशेष बचे हैं. इन्हें संरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया जायेगा. मलूटी को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा.